

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला-पाली

पीठासीन अधिकारी:- राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस

राजस्व विविध संख्या - 07/2020

निर्णय दिनांक - 16.03.2021

प्रार्थी :-

धनसिंह पुत्र खीमसिंहजी आयु -85 वर्ष, जाति-राजपूत, निवासी-माडपुर तहसील-देसूरी जिला-पाली (राज.)

-: बनाम :-

अप्रार्थीगण:-

- 1.पर्वतसिंह पुत्र वनेसिंह, आयु- 30 वर्ष
- 2.बहादुरसिंह पुत्र वनेसिंह, आयु- 28 वर्ष
- 3.भंवर कंवर पत्नी वनेसिंहजी, आयु-65 वर्ष
- 4.सुमेरसिंह पुत्र वनेसिंहजी, आयु- 35 वर्ष
- तमाम् जातिगण-राजपूत, निवासीगण - माडपुर, तहसील-देसूरी, जिला पाली, (राज.)
- 5.तहसीलदारजी देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि.

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :-


- प्रार्थी की ओर से - वकील हुकमसिंह सोलंकी
- अप्रार्थीगण की ओर से - दिलीप कुमार व्यास

-: निर्णय :-

दिनांक :- 16.03.2021

प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव- माडपुर, पटवार क्षेत्र-माडपुर, तहसील-देसूरी, जिला पाली (राज.) में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 329 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम लगान रूपये 4.0700 विद्यमान हैं, जिसमें प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का कब्जा एवं काश्त सुदा 1/2, हिस्सा विद्यमान हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/8 वां व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/8 वां हिस्सा संयुक्त




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज नम्बर 2 पर लगातार




क्रमशः निर्णय पेज ... (2) ... राजस्व वि. वि.मु.सं. 07/2020 प्रार्थी धनसिंह बनाम अप्रार्थीगण मृतक वनेसिंह के वारिसान पर्वतसिंह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी

खोतदारी का कब्जा काश्त सुदा विद्यमान हैं। यह है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 की संयुक्त खातेदारी की है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 के मध्य कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नही हुआ है। मौके पर प्रार्थी का माफिक खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु चुंकि कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया हुआ नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है एवं टण्टा फसाद करते है एवं जमीन को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी की आराजीयात में उनकी काश्त मे नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा रहते है

यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद के निर्णय मे लम्बा समय लगेगा जबकि अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थी के बंट की आराजीयात में नाजायाज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवं अप्रार्थीगण उनके खातेदारी के बंट से अधिक जमीन पर अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है व जमीन को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है एवं अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है एवं प्रार्थी के बंट की आराजीयात मे नाजायाज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को उनकी बंट की भूमि मे काश्त महरूम रखने में आमादा है एवं ऐलानिया धमकिया दे रहे है। अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण के इस अवैध कृत्य से प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक वाद विवाद बढेगा एवं अप्रार्थीगण मौके पर टण्टा फसाद करेंगे एवं प्रार्थी के बंट की भूमि पर अतिक्रमण करने व विशेष भाग की जमीन पर निर्माण कार्य से एवं प्रार्थी के बंट की आराजीयात में प्रार्थी के कब्जा काश्त दखलन्दाजी करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है जिससे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने का प्रश्न नही है न ही कोई क्षति होगी इसके विपरीत यदि अप्रार्थीगण बलपूर्वक प्रार्थी के बंट की भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करेंगे एवं जबरदस्ती बल पूर्वक जमीन को खुर्द-बुर्द करेंगे जिससे मौके पर लड़ाई झगडा व खुन खराबा होने की सम्भावना रहेगी एवं विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के हक अधिकारों पर भारी कुठारागात होगा एवं प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा एवं प्रार्थी के मूल वाद का मकसद भी समाप्त हो जायेगा जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में जारी की जाना नितान्त आवश्यक है।

पेज नम्बर 3 पर लगातार




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः निर्णय पेज ... (3)... राजस्व वि. वि.मु.सं. 07/2020 प्रार्थी धनसिंह बनाम अप्रार्थीगण मृतक वनेसिंह के वारिसान पर्वतसिंह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी


अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ— पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा सरहद गांव—माडपुर, पटवार क्षेत्र—माडपुर, तहसील—देसूरी, जिला—पाली, (राज.) में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 329 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम लगान रूपये 4.0700 की आराजी में प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त सुदा खातेदारी का 1/2 हिस्से की आराजीयात में प्रार्थी के खातेदारी के बंट व हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावें व जमीन को खुर्द—बुर्द नहीं करें एवं विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करें एवं दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नहीं करें एवं जमीन का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करे व अपनी हिस्से से अधिक जमीन पर निर्माण नहीं करें एवं मूल वाद के निर्णय तक मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील दिलीप कुमार व्यास ने वकालत नामा पेश किया। तथा अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख0 न0— 329 रकबा— 0.2100 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, लगान रू0— 4.0700 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या—1 से 4 का कुल मिला कर 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिपत्य का विद्यमान है जो सही है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य माफिक खातेदारी हिस्सों अनुसार मौके पर पूर्व में आपसी सहमति एवं रजामंदी से सह खातेदारों पक्षकारान के मध्य बंटवाडा किया हुआ है, जिस अनुरूप वादग्रस्त आराजी के पूर्व दिशा तरफ की खसरा नम्बर—332 ये लगती हुई 1/2 हिस्से की कृषि भूमि प्रार्थी के बंट में एवं शेष पश्चिम तरफ की खसरा नम्बर— 327 व 328 से लगती हुई 1/2 हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या—1 से 4 के बंट मे आयी हुई मौके पर पृथक पृथक कब्जा काश्त सुदा चली आ रही है, जो प्रार्थी स्वयं मानता है। किन्तु रिकार्डली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा अवश्य नहीं हुआ है, जिस हेतू उपरोक्तानुसार पूर्व में मौके पर भौतिक रूप से हुए बंटवाडा अनुसार रिकार्डली बंटवाडा किये जाने में अप्रार्थीगण द्वारा कभी मना नहीं किया एवं आज भी तैयार व

पेज नम्बर 4 पर लगातार




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)


क्रमशः निर्णय पेज (4) राजस्व वि. वि.मुसं 07/2020 प्रार्थी धनसिंह बनाम अप्रार्थीगण मृतक वनेसिंह के वारिसान पर्वतसिंह अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर देमुरी

तत्पर है अतः वादग्रस्त आराजी का पूर्व में उपर वर्णित अनुसार हुए बंटवाडा अनुसार मौके पर पृथक पृथक कब्जा काशत अनुसार रिकार्डली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में मध्य किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण पूर्व में हुए बंटवाडा अनुसार अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर एवं प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर पृथक पृथक रूप से काशत करते आ रहे हैं, जिसमें किसी का कोई दखल हस्तक्षेप नहीं है। एवं मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा अपने बंट की भूमि में लाखों रूपये लगाकर इसे समतल, उपजाऊ बना कर विकसित किया है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अपने खातेदारी हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा नहीं है एवं न ही किसी विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है एवं न ही प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की भूमि में उनके काशत में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी करने पर आमादा है। तमाम तथ्य प्रार्थी द्वारा कत्तई गलत, मिथ्या एवं मनगढंत एवं निराधार अंकित किये हैं। उपर वर्णित अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में हुए बंटवाडा अनुसार एवं मौके पर पृथक पृथक कब्जा काशत अनुसार रिकार्डली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कराये जाने में अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य माफिक खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर पूर्व में आपसी सहमति एवं रजामंदी से सह खातेदारों पक्षकारान के मध्य बंटवाडा पैरा-3 जबाव में विस्तृत रूप से बतलाये अनुसार किया हुआ है, जिस अनुरूप मौके पर पृथक पृथक कब्जा काशत सुदा चली आ रही है, जो प्रार्थी द्वारा स्वयं मानता है। किन्तु रिकार्डली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा अवश्य नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण पूर्व में हुए बंटवाडा अनुसार अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर एवं प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर पृथक-पृथक रूप से काशत करते आ रहे हैं, जिसमें किसी का कोई दखल हस्तक्षेप नहीं है। एवं मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा अपने बंट की भूमि में लाखों रूपये लगाकर इस समतल, उपजाऊ बना कर विकसित किया है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अपने खातेदारी हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा नहीं है एवं न ही किसी विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने या खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है एवं न ही प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की भूमि में उनके काशत में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार कोई अवैध कृत्य न तो किया गया है न ही किया जाना है प्रार्थी उसके खातेदारी हिस्से की भूमि पर काशत करता आ रहा है एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काशत करते आ रहे हैं, जिसमें किसी का कोई दखल नहीं है, जिससे एवं न ही प्रार्थी के किसी प्रकार से कोई अकथनीय क्षति होने का प्रश्न नहीं है एवं न ही प्रार्थी के किसी हक अधिकारों पर कुठाराघात होने का ही प्रश्न है। प्रार्थी द्वारा कत्तई गलत, मिथ्या

पेज नम्बर 5 पर लगातार...




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देमुरी (पाली)

एवं मनगढंत एवं निराधार तथ्य अंकित किये है, जो मानने योग्य नहीं है एवं वादी, अप्रार्थीगण सह खातेदार टिनेन्ट के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को सफलता के कोई आधार एवं आसार नहीं है जो प्रथम दृष्ट्या काबिल खारिज के है।

बहस वकूलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् इस पत्रावली एवम् मूल वाद पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला—प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी का सयुक्त खातेदारी में 1/2 हिस्सा विद्यमान है एवम् शेष 1/2 अप्रार्थीगण का है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है एवम् विशेष भू-भाग की जमीन पर निर्माण करने का आमादा है। वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पूर्व में हुए आपसी सहमति बंटवाडा के अनुसार अप्रार्थीगण 1/2 हिस्से पर काबिज है। तथा प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि में पृथक रूप से काश्त करते आ रहे है। जिसमें किसी का कोई दखल हस्तक्षेप नहीं है।


न्यायालय की राय में प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार व सहखातेदार है। प्रत्येक सह खातेदार का खातेदारी के प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है एवं अधिकार निहित होता है। अतः सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा सन्तुलन :- अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा सन्तुलन पर विचार किया गया। प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। अतः प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर पूर्ण रूप से काबिज होते है। अतः प्रार्थी को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसको होने वाली असुविधा उससे अधिक नहीं होगी जितनी अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने पर अप्रार्थीगण को होगी अर्थात् दोनों को ही समान असुविधा होगी अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

अपूरणीय क्षति :- अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वाद मात्र बंटवाडा का है व सभी पक्षकार का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में विद्यमान है। यदि विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में एवम् अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नहीं होगी जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नहीं की जा सके अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

पेज नम्बर 6 पर लगातार





सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः निर्णय पेज ... (6) ... राजस्व वि. वि. मु. सं. 07/2020 प्रार्थी धनसिंह बनाम अप्रार्थीगण मृतक वनेसिंह के वारिसान पर्वतसिंह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।


आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ. देसूरी (पाली))
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।




सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)